कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- 621 /11-सी-FP/UP/Road/30569/2017, लखनऊ, दिनांकः सितम्बर 19 ,2018

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उ0प्र0 शासन,
वन एवं वन्य जीव, अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषयः- जनपद-मीरजापुर में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-07 (वाराणसी-हनुमना सेक्शन) किमी0 संख्या 49.500 से किमी0 संख्या 140.200 तक के सुदृढीकरण व चौड़ीकरण से प्रभावित 17.3875 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 113.63 हे0 संरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 131.0175 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 10473 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू0पी0/06/66/2018/एफ0सी0/327, दिनांक 07.08.2018 एवं उ0प्र0 शासन का पत्रांक-भा0स0 117/14-2-2018-800(124)/2018, दिनांक 08.08.2018 तथा भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू0पी0/06/66/2018/एफ0सी0/220, दिनांक 21.08.2018

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्रों के द्वारा विषयांकित प्रकरण में वांछित बिन्दुवार सूचना/अभिलेख मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर क्षेत्र, मिर्जापुर ने अपने पत्रांक-1181/मी0क्षे0/33, दिनांक 17.09.2018 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया है।

अतः उक्त पत्रों की छायाप्रति सहित वांछित बिन्दुवार सूचना/अभिलेखों की दो प्रतियाँ इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

<u>संलग्नकः-यथोक्त्।</u>

भवदीय

19/9

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या- /11-सी-FP/UP/Road/30569/2017, दिनांकित।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में संलग्न सहित।
2. मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर क्षेत्र, मिर्जापुर।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर।
4. प्रबन्धक तकनीकी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी0आई0यू0, वाराणसी।

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-2297